

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल-147/2023-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० रिया नंदिनी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुशरूपुर, पटना द्वारा दिनांक-01.06.2024 से 01.07.2025 तक कुल-396 (तीन सौ छियावनवे) दिनों के उपभोगित/उपभोग किया जाने वाला अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्राक-9889, दिनांक-01.12.2015 एव वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2002(25), दिनांक-18.10.2023 से प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश के पश्चात डा० नंदिनी का 27 (सत्ताईस) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-147/2023-

431(2)

पटना. दिनांक 17/03/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुशरूपुर, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० रिया नंदिनी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुशरूपुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/3/25

सरकार के अवर सचिव।